अंतिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

बजज अदालत – न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं मजि.बसवा (दौसा)
बजज इजलास – श्री नवनीत कुमार आर.ए.एस. उपजिला कलक्टर बसवा
प्रकरण दायर दिनांक :–6.6.2022
प्रकरण निर्णय दिनांकः– 20.12.2023

उनवान

राजेन्द्र कुमार पुत्र मूलचंद जाति ब्राहमण निवासी ग्राम अगावली तह.बसवा
(वादी)

बनाम

1. मुन्नी देवी पत्नी स्व.ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी ग्राम अगावली तह.बसवा
2. ममता पुत्री ओमप्रकाश पत्नी दिनेश जाति ब्राहमण ग्राम फर्राशपुरा तह.सिकराय
3. रोताश पुत्री ओमप्रकाश पत्नी राजेश जाति ब्राहमण ग्राम फर्राशपुरा तह.सिकराय
4. शैलेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी अगावली तह.बसवा तह.बसवा
5. सीमा पुत्री ओमप्रकाश पत्नी महेश जाति ब्रामहण निवासी आभानेरी तह.बसवा
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार बसवा

(प्रतिवादीगण)

–: दावा वास्ते तकास्मा एवं सथाई निषेधाज्ञा बाबत :–

मुकदमा नंबर :– 221 / 2022 (पुराना 128 / 22)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू प्रार्थी वकील श्री नवीन कुमार गुर्जर हाजिर, प्रतिवादीगण वकील..अनुपस्थित .मिनजानिब मुदई रूबरू........................ मिनजानिब मुदालय पेश होकर हुक्त दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि दावा वास्ते तकास्मा, स्थाई निषेधाज्ञा हेतु भूमि ग्राम अगावली स्थित खसरा नंबरान 137 व 138 कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 हैक्टयर जमाबंदी में मूल निर्णय, जो कि इस डिकी का भाग है एवं रहेगा, अनुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, साथ ही समस्त प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी की भूमि में किसी भी प्रकार से कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, आदेश एतद्द्वारा आज दिनांक 20.12..2023 को जारी किये जाते हैं । वाद अंतिम रूप से डिकी किया जाता है ।

निज.................................मुबलिग.................................बाबत..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह..................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक................................ को अदा करें ।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 20.12.2023 को जारी की गई ।

मुहर (न्यायालय उप जिला कलेक्टर व उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा) राज.)

दस्तखत (उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा))......

ओहदा..........................

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला–दौसा

...संख्या :– मुकदमा नंबर :– 221/2022 (पुराना 128/22)
...रज्जु दिनांक :– 6.6.2022
... दिनांक :– 20.12.2023

प्रकरण अंतर्गत धारा तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा
प्रकरण का उनवान

राजेन्द्र कुमार पुत्र मूलचंद जाति ब्राहमण निवासी ग्राम अगावली तह.बसवा
(वादी)

बनाम

1. मुन्नी देवी पत्नी स्व.ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी ग्राम अगावली तह.बसवा
2. ममता पुत्री ओमप्रकाश पत्नी दिनेश जाति ब्राहमण ग्राम फर्राशपुरा तह.सिकराय
3. रोताश पुत्री ओमप्रकाश पत्नी राजेश जाति ब्राहमण ग्राम फर्राशपुरा तह.सिकराय
4. शैलेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी अगावली तह.बसवा तह.बसवा
5. सीमा पुत्री ओमप्रकाश पत्नी महेश जाति ब्रामहण निवासी आभानेरी तह.बसवा
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार बसवा

(प्रतिवादीगण)

–: निर्णय वास्ते तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा :–

दिनांक :– 20.12.2023

पत्रावली पेश हुई । वादीगण द्वारा एक दावा वास्ते तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का न्यायालय हाजा में पेश किया कि वाके मौजा ग्राम अगावली तहसील बसवा में खाता संख्या नया 6 पुराना खाता संख्या 6 खसरा नंबर 137 रकबा 0.65 हैक्टयर, खसरा नंबर 138 रकबा 0.05 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 हैक्टयर स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है । भूमि मुतदाविया में वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी है जिसका अभी तक विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है । प्रतिवादीगण अवैध तरीके से वादी के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं । और वादी को बेदखल करने पर आमादा हैं । वादी द्वारा प्रतिवादीगण से भूमि का विधिवत तकास्मा हेतु कहने पर वे स्पष्ट इंकार कर गये । भूमि मुतदाविया का विधिवत तकास्मा नहीं होने से वादी को सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं के लाभ से वंचित रहना पड रहा है । वादी द्वारा प्रतिवादीगण को दिनांक 29.5.2022 को भूमि मुतदाविया का विधिवत तकास्मा करवाने को कहा तो प्रतिवादीगण स्पष्ट इंकार कर गये । साथ ही एलानिया धमकी दी कि वे वादी के हिस्से की भूमि को भी दीगर लोगों को बेचान कर देंगे । ऐसी स्थिति में भूमि काश्त रामा अगावली तह.बसवा जिला–दौसा में खाता संख्या 6 खसरा नंबर 137 रकबा 0.65 हैक्टयर, खसरा नंबर 138 रकबा 0.05 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 हैक्टयर भूमि का वादी के हिस्सेनुसार सरस नरस रास्ते की सुविधि को ध्यान में रखते हुए विधिवत सरस–नरस रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विधिवत तकास्मा किया जावे एवं वादी के हिस्से की भूमि का खाता, पर्चा अलग कायम किया जावे एवं अलग–अलग लगान निर्धारित किया जावे । साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की आज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे स्वयं परिवारजन, मददगारान, एजेन्ट, नौकर, ईष्ठमित्रों के द्वारा भूमि मुतदाविया पर कोई पुख्ता निर्माण व दुकानों का निर्माण नहीं करें । साथ ही अलग–अलग खाते खतोनी अलग जमाबंदी व पासबुक बनाई जाकर लगान का बंटवारा अलग–अलग किया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

जारी की गई । प्रकरण में न्यायालय हाजा (उपखण्ड बांदीकुई) द्वारा दिनांक 19.9.2022 को प्राथमिक डिकी जारी की गई । तहसीलदार बसवा द्वारा उनके पत्रांक भू.अ./2022/10991 दिनांक 9.12.2022 के द्वारा उक्त भूमि मुतदाविया की कुरेजात न्यायालय हाजा को भिजवाई गई, जिन्हें रिकोर्ड पर लिया गया ।

प्रतिवादी संख्या 1 व 4 की ओर से उपस्थित एडवोकेट श्री राकेश कुमार विजय द्वारा, प्राप्त कुरेजात, पर दिनांक 17.8.2023 को आपत्ति जताई । प्रतिवादी संख्या 1 व 4 को निरंतर अवसर देने के उपरांत भी, प्राप्त कुरेजात पर बहस हेतु उपस्थित नहीं आए । लिहाजा प्रकरण में प्राप्त कुरेजात पर वादी पक्ष की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

तहसीलदार बसवा द्वारा पुनः कुरेजात उनके पत्रांक भू.अ./2022/10991 दिनांक 9.12.2022 के द्वारा न्यायालय हाजा को भिजवावें । प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी को सुना गया । वकील वादी द्वारा प्राप्त कुरेजात को अंतिम डिकी से निर्णित करने पर सहमति प्रदान की ।

प्राप्त कुरेजात तहसीलदार बसवा द्वारा पक्षाकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूपे राजस्व रिकोर्ड के बनाया जाना प्रकट होने एवं स्थित पक्षाकारों की सहमति से स्वीकार किया जाकर अंतिम डिकी किया जाना उचित प्रतीत होने से प्राप्त कुरेजात स्वीकार किया जाकर निम्न अनुसार अंतिम डिकी जारी की जाती है :–

हाल जमाबंदी के अनुसार खातेदारान विवरण –खाता संख्या 6 अगावली				वर्तमान कुरेजात प्रस्ताव के अनुसार खातेदारी			
क्र	नाम वर्तमान खातेदारान	खसरा नंबर	रकबा	क्रम	खातेदारान के नाम	खसरा नंबर	रकबा
1	राजेन्द्र कुमार मूलचंद हिस्सा 1/2, मुन्नी देवी पत्नी व शौलेन्द्र कुमार पुत्र व ममता, रोताश, सीमा पुत्रियान ओमप्रकाश जाति ब्राहमण सा.देह खातेदार	137 138	0.65 0.05	1	राजेन्द्र कुमार पुत्र मूलचंद जाति ब्राहमण सा.देह खातेदार	137/1 138/1	0.31 हैक्टयर 0.03 हैक्टयर
						किता 2	कुल 0.34 है.
				2	मुन्नी देवी पत्नी ओमप्रकाश, शैलेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश, ममता, सीमा, रोताश पुत्रियान ओमप्रकाश जाति ब्राहमण सा.देह	137/2	0.34 है.
				3	राजेन्द्र कुमार पुत्र मूलचंद जाति ब्राहमण सा.देह खातेदार 1/2, मुन्नी देवी पत्नी ओमप्रकाश, शैलेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश, ममता, सीमा, रोताश पुत्रीयान ओमप्रकाश जाति ब्राहमण सा.देह खातेदार	138/2	0.02 हैक्टयर
		कुल 2	0.70 है.				

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहसीलदार बसवा को राजस्व रिकोर्ड में इस अंतिम डिकी का अंकन करने के लिये तहरीर जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

(डॉ.नवनीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,बसवा
जिला दौसा

न्यायालय उप जिला कलेक्टर व उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा) राज.